संख्या-80/2023/I/344809/2023/002-71-2002-002-6-2023

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 06 जुलाई, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में के0जी0एम0यू0 हेतु गैर वेतन मद के आवश्यक/अपरिहार्य व्ययों के वहन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 के पत्र संख्या-5480/लेखा/23, दिनांक 07.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में के0जी0एम0यू0 हेतु गैर वेतन मद के आवश्यक/अपरिहार्य व्ययों के वहन हेतु द्वितीय किस्त की धनराशि रू0 3583.33 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-58/2023/I/301370/2023/001-71-2002-002-6-2023, दिनांक 13 अप्रैल, 2023 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में रू0 3583.33 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चिकित्सा विश्वविद्यालय को 31-सहायता अनुदान-सामान्य 2210-05-105-03-0366- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अंतर्गत द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि रू0 3583.33 लाख (रूपये पैतीस करोड़ तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए उनके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यवकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 एवं वित्त अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 35,83,33,000 (रुपये पैंतीस करोड़ तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050366 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश **मानक मद** 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-57/दस-2023-24, दिनांक-05.07.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-80/2023/I/344809/2023/002-71-2002-002-6-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त नियंत्रक, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।